कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा

क्रमांक प. 14( ) एफ.सी.ए. / उवसं / 2020 / 7530-36 दिनांकः– 16/12/2020

निमित्त,
अधिशासी अभियंता,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
परियोजना खंड–प्रथम, बांसवाड़ा।

विषय :–जिला बांसवाड़ा के अंतर्गत पंचायत समिति कुशलगढ़ एवं सज्जनगढ़ के 399 गावों एवं 395 ढाणियों में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल परियोजना निर्माण के कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हेक्टेयर वनभूमि के प्रत्यावर्तन बाबत।

सन्दर्भः–Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) Integrated Regional office, Jaipur 8B/RAJ/08/18/2020/FC/42 dated 07.12.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा विषयांकित प्रकरण में 16.4546 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु बिंदु संख्या 1 से 23 तक वर्णित अनुसार अधिरोपित की गई शर्तों की पालना किए जाने के अध्यधीन सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। अतः कृपया संदर्भित पत्र में वर्णित समस्त शर्तों की पालना किए जाने के संबंध में वांछित बिंदुवार पालना प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करें तथा वन विभाग को निम्नानुसार देय राशि जमा कराने की कार्यवाही करावें ताकि तदुपरांत प्रकरण में भारत सरकार से वन भूमि प्रत्यावर्तन की विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही करवाई जा सके:–

1. **शर्त संख्या–3** की पालना में 5.63 हेक्टेयर गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रति हेक्टेयर ₹1,72,600 से देय राशि ₹9,71,738 ई–पोर्टल के माध्यम से जमा करावें।
2. **शर्त संख्या–3** की पालना में 22 हेक्टेयर परिभ्रांषित वन भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रति हेक्टेयर ₹1,44,100 से देय राशि ₹31,70,200 ई–पोर्टल के माध्यम से जमा करावें।
3. **शर्त संख्या–6** की पालना में 16.4546 हेक्टेयर वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) हेतु देय राशि ₹103,00,580 ई–पोर्टल के माध्यम से जमा करावें।
4. **शर्त संख्या–8** की पालना में पातन हेतु प्रस्तावित 38 वृक्षों (रेन्ज बांसवाड़ा अधिन वन खण्ड सिंगपुरा पार्ट–ए तथा सिंगपुरा पार्ट–बी कि वन भूमि में स्थित कमशः 18 एवं 20 कुल 38 वृक्ष) के मूल्य हेतु देय राशि ₹10,865 उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट / चेक के द्वारा अथवा निम्नानुसार बैंक खाते में ऑफलाइन / ऑनलाइन माध्यम से अविलंब जमा करावें :–

Bank Name	Account number	IFSC code	MICR code
ICICI Bank, Gandhi Murti branch , Banswara.	689901701496	ICIC0006899	327229003

उक्त प्रकरण में भारत सरकार के द्वारा अधिरोपित की गई शर्तों की पालना का बिन्दुवार प्रतिवेदन Tabular Format में प्रस्तुत करने के साथ–साथ इस आशय का वचनबद्धता–पत्र भी प्रस्तुत करें कि परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान संबंधित रेंज कार्यालयों के प्रस्ताव के अनुसार अनुसार निकटतम वन चौकी के स्टाफ के लिये यथास्थान सार्वजनिक नल लगाए जाएंगे तथा वनों एवं वन्य जीवों (Wild Animals) के लिये पशु–खेली (Water Tanks) का निर्माण परियोजना के व्यय पर निर्माण कार्य के साथ–साथ ही करवाया जायेगा जिससे कि इनके लिये पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कि जा सके। कृपया सूचित होवें।

(हरि किशन सारस्वत)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

कमशः 2 पर

क्रमांक प. 14( ) एफ.सी.ए./उवसं/2020/ दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर।
2. सहायक वन संरक्षक, बांसवाड़ा।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, बांसवाड़ा, बागीदौरा, डूंगरा एवं कुशलगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि आपके स्वयं के स्तर से यह सुनिश्चित करें कि सक्षम अनुमति प्राप्त होने तक एवं इस कार्यालय की अनुमति के विना यूजर एजेंसी के द्वारा वन भूमि में परियोजना के निर्माण से संबंधित किसी भी प्रकार की गैर वानिकी गतिविधियां प्रारंभ नहीं कराई जावें।

उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा